केरल राज्य व अन्य

बनाम

मैसर्स आर्या रेफ्रिजरेशन एण्ड ए/सी कं0 और अन्य

03 अगस्त, 2014

जस्टिस एस0एन0 वरियावा और अरिजित पसायत

मध्यस्थता अधिनियम 1940 धारा-9/ विलंबित भुगतान पर ब्याज,लघु और औधोगिक उपक्रम अधिनियम 1993 धारा 3, 5 और 6: राज्य सरकार से भंडार सयंत्र की आपूर्ति और निर्माण के लिए करार-राज्य द्वारा भवन निर्मित नहीं किए जाने के कारण यन्त्र स्थापित नहीं किया जा सका- विवाद मध्यस्थता के लिए भेजा गया- पंचाट- राज्य सरकार द्वारा संविदा का निरस्तीकरण-पक्षकार द्वारा प्रकरण को मध्यस्थता के लिए भेजकर चुनौती दी गयी- राज्य द्वारा न तो मध्यस्थ नाम निर्देशित किया गया, न ही मध्यस्थ प्रक्रिया में भाग लिया गया- पंचाट- विचारण न्यायालय द्वारा पंचाट को न्यायालय की विधि माना गया- राज्य द्वारा सत्यता को चुनौती दी गयी- उच्च न्यायालय द्वारा पंचाट अपास्त किया गया- उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रकरण को नये सिरे से स्वंय द्वारा नियुक्त मध्यस्थ को भेजा गया और अंतरिम अनुतोष के रूप में मध्यस्थ द्वारा अधिनिर्णित राशि जमा करवाने का निर्देश राज्य को दिया गया और

पक्षकार को इस शर्त के साथ राशि प्राप्त करने की अनुमति दी गयी कि यदि अपील स्वीकार होती है तो राशि 15 प्रतिशत ब्याज के साथ लौटायी जायेगी- पंचाट पेश हुआ- पक्षकार द्वारा चुनौती दी गयी- उपधारित पंचाट विस्तृत एवं समुचित कारण सहित था- संविदा की शर्तों की अवेहलना नहीं हुई- विनिश्चय विकृत/अनुचित नहीं था- यद्यपि याची द्वारा प्राप्त किये गये भुगतान पर 15 प्रतिशत ब्याज की दर शर्त सहित थी और शर्त पूर्ण नही हुई, याची 15 प्रतिशत ब्याज की दर अदा करने के लिए उत्तरदायी नहीं बल्कि केवल 9 प्रतिशत ब्याज अदा कर सकता है- पंचाट संशोधित किया गया- सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 धारा 115 प्रत्यर्थी ने बर्फ-सह-शीत भंडारण योजना की आपूर्ति और निर्माण के लिए अपीलकर्ता-राज्य के साथ एक समझौता किया था। प्रत्यर्थी सयंत्र को स्थापित नहीं कर सका क्योंकि भवन निर्माण राज्य सरकार द्वारा नहीं किया गया था। इस प्रकार विवाद उत्पन्न हुआ जिसे मध्यस्थता के लिए भेजा गया। मध्यस्थ ने प्रत्यर्थी के पक्ष में पंचाट पारित किया। बाद में, राज्य सरकार ने अनुबंध को रद्द कर दिया। प्रत्यर्थी ने एक मध्यस्थ को नामित करके मामले को मध्यस्थता के लिए भी भेजा, हालांकि राज्य ने किसी भी मध्यस्थ को नामित नहीं किया, न ही उसने मध्यस्थता की कार्यवाही मे भाग लिया। मध्यस्थ ने प्रत्यर्थी के पक्ष में पंचाट दिया। पंचाट न्यायालय का नियम बना दिया गया। राज्य ने इसे उच्च न्यायालय में चुनौती दी।

उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने अपील और क्रॉस अपील में पंचाट को रद्द कर दिया। न्यायालय ने एक मध्यस्थ नियुक्त किया और मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा। इस बीच पूर्ववर्ती मध्यस्थता प्रकिया में मध्यस्थ द्वारा निर्णित की गई राशि अपीलार्थी-राज्य को जमा कराने का निर्देश दिया और प्रत्यर्थी को इस शर्त पर राशि प्राप्त करने की अनुमति प्रदान की गयी कि यदि अपील स्वीकार होती है तो उक्त राशि 15 प्रतिशत ब्याज के साथ लौटायी जावेगी। न्यायालय द्वारा नियुक्त मध्यस्थ द्वारा इसे न्यायालय का नियम बनाने के लिए पंचाट दायर किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा यह तर्क दिया गया कि पंचाट इन आधारों पर अपास्त किये जाने योग्य था कि मध्यस्थ ने क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण किया। पंचाट पारित करने में अनुबंध की शर्तांे की अवहेलना की; कि ब्याज का दायित्व लघु और औधोगिक उपक्रम अधिनियम के विलंबित भुगतान के प्रावधानों के प्रकाश में होना चाहिए और यह कि मध्यस्थ राशि के कुछ समायोजन पर ध्यान देने में विफल रहा जो कि प्रत्यर्थी द्वारा प्राप्त की गयी थी और भुगतान का हालांकि आदेश दिया गया है लेकिन इसे प्राप्त नहीं किया गया। राज्य द्वारा यह कथन प्रस्तुत किया गया कि प्रतिवादी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया गया है जिसकी मध्यस्थ ने अनदेखी की हो या किसी भी प्रासंगिक सामग्री की अनदेखी की हो तथा पंचाट किसी भी प्रत्यक्ष अवैधता से ग्रसित हो।

पंचाट में संशोधन करके अपीलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने निर्णित किया कि

1.1 मध्यस्थ ने बहुत अच्छी तरह से तर्क सहित और विस्तृत पंचाट पारित किया है। यह नहीं दिखाया जा सका कि अनुबंध की बुनियादी शर्तों की किस तरह से अवहेलना की गई थी। मध्यस्थ ने अनुबंध के विभिन्न खंडो और उनके प्रभाव का उल्लेख किया है। निष्कर्ष किसी भी तरह से विकृत या अनुचित नहीं है। दावेदार का निवेदन कि पंचाट किसी भी दुर्बलता से ग्रस्त था, में कोई सार नहीं है। जहाँ तक विलंबित भुगतान अधिनियम के अनुसार ब्याज की प्रयोज्यता का संबंध है, ऐसा प्रतीत होता है कि मध्यस्थ के समक्ष इस सम्बन्ध कोई दावा नहीं किया गया है। उक्त अधिनियम के प्रावधानों को आकर्षित करने के लिए, वास्तविक पहलू जैसे कि ब्याज की प्रचलित बैंक दर आदि रिकॉर्ड में लाया गया हो, ऐसा नहीं किया गया है। इसलिए इस संबंध में निवेदन भी बिना किसी सार के है। (297-बी-सी.)

1.2 अभिलेख पर यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि प्रतिवादी ने उस राशि को वापस ले लिया था जो अधीनस्थ न्यायालय के पास जमा की गई थी। इसी तरह, रू. 47,000 एक से अधिक बार समायोजित किया गया है। इस संबंध में आवश्यक समायोजन किया जाना चाहिए। जहाँ तक राज्य द्वारा जमा की गई राशि पर 15 प्रतिशत ब्याज दर से संबंधित

याचिका का संबंध है यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस न्यायालय ने निर्देश दिया था कि यदि अपील की अनुमति दी जाती है, राज्य राशि पर 15 प्रतिशत की दर से ब्याज का हकदार होगा। ऐसी स्थिति नहीं आई है। उक्त राशि पर 9 प्रतिशत ब्याज दर लागू करना उचित होगा। इन संशोधनों और गणना के साथ पंचाट को न्यायालय का नियम बनाया जाता है। {297-डी,ई,एफ}

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील सं. 2078/1984.

साथ ही

आई.ए. सं. 6 और सिविल अपील सं. 362/1988।

केरल उच्च न्यायालय के सी.आर.पी. 2660/1982-ए में दिनांक 18.08.1983 के निर्णय और आदेश से।

अपीलार्थियों के लिए रमेश बाबू और एम.आर।

उत्तरदाता के लिए आर. सतीश।

न्यायालय का निर्णय अरिजीत पासायत, जेः द्वारा दिया गया।

ये दोनों अपीलें आपस में जुडी हुई हैं और इसलिए इन्हें निपटाने के लिए एक साथ लिया जाता है। सिविल अपील सं. 2078/1984 में केरल राज्य द्वारा केरल उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिए

गए निर्णय की शुद्धता पर सवाल उठाया गया है जिसमें रूपये 5,75,500 न्यायालय में जमा करने का निर्देश दिया गया है।

ई.पी.नं. 109/1981 ओ0पी0 (मध्यस्थता) 4/1979 में उप न्यायालय, त्रिवेंद्रम द्वारा दिए गए जमा कराने के निर्देशों को बरकरार रखते हुए केरल उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया था। विद्वान एकल न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908(संक्षेप में "संहिता) की धारा 115 के तहत हस्तक्षेप करने के निर्देष में कुछ भी गलत नहीं था। सिविल अपील सं. 362/1988 मैसर्स आर्य रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग कंपनी लिमिटेड (जिसे दावेदार निर्देशित किया जायेगा।) केरल उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा दिए गए निर्णय की शुद्धता पर सवाल उठाते हुये दायर की गयी। केरल उच्च न्यायालय ने इसमें न्यायालय द्वारा नियुक्त दो मध्यस्थों द्वारा पारित पंचाट को अपास्त किया था।

यद्यपि प्रकरण का इतिहास स्पष्ट था। अतः प्रकरण की तथ्यात्मक स्थिति निर्विवादित थी। जिसका वर्णन आवश्यक नहीं था। याची द्वारा केरल राज्य के साथ दिनांक 18.01.1965 को विलिंगटन द्वीप कोचिन पर 100 टन के बर्फ सह शीत सयंत्र की आपूर्ति और निर्माण का करार किया गया। करारित राशि 9,40,000रू. थी। यद्यपि कुछ सयंत्र व मशीनें भिजवाये गये थे। परन्तु वे भवन निर्मित नहीं होने से स्थापित नहीं किये जा सके। जैसे-जैसे समय बीतता गया, पक्षों के बीच विवाद पैदा होता गया और मामला

समझौते के खंड 15 के संदर्भ में मध्यस्थों के पास भेजा गया। दो मध्यस्थ थे। जिन्होंने 02.11.1978 पर एक पंचाट पारित किया। मध्यस्थों द्वारा पारित की गई राशि रू. 5,05,500 थी। पंचाट पारित होने के बाद, राज्य सरकार ने अनुबन्ध को रद्द कर दिया और उसे आदेश 17.11.1978 से समाप्त कर दिया। दावेदार ने रद्द करने पर सवाल उठाया और दावे किए। अनुबंध को रद्द करने के विषय में दावेदार ने मामलें को मध्यस्थता के लिए भेजा और मध्यस्थता अधिनियम 1940 की धारा 9 के तहत मध्यस्थ को नामित किया।

राज्य को नोटिस जारी किये। लेकिन राज्य ने मध्यस्थ नाम निर्देशित नहीं किया। मध्यस्थता प्रक्रिया जारी रही। परन्तु राज्य ने एकल मध्यस्थ के समक्ष प्रक्रिया में भाग नहीं लिया और अंत में दिनांक 17.05.1982 को याची को 22,72,500 रू. प्रदान करने का पंचाट पारित किया गया। राज्य ने पंचाट की सत्यता को चुनौती दी। लेकिन विचारण न्यायालय ने राज्य की आपत्तियों को खारिज कर दिया और मध्यस्थ द्वारा पारित पंचाट को न्यायालय की विधि बनाया। राज्य ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अवार्ड बाबत् डिक्री की शुद्धता पर सवाल उठाया। दिनांक 10.11.1986 के विवादित निर्णय द्वारा, उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ, जैसा कि उपर उल्लेख किया गया, पंचाट को रद्द कर देती है। इस अदालत के समक्ष भी यह मामला उठाया गया था। पक्षकार अंततः विवाद

को न्यायालय के बाहर निपटाने के लिए सहमत हुए। लेकिन बाद में इस न्यायालय द्वारा विवाद का न्याय निर्णयन करने के लिए एक मध्यस्थ की नियुक्ति का अनुरोध किया। केरल उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश, श्री न्यायमूर्ति बी.एम. तुलसीदास को दिनांक 13.12.1999 के आदेश द्वारा मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया गया, हालांकि शुरू में एक अन्य मध्यस्थ नियुक्त किया गया था। एक अंतरिम उपाय के रूप में आदेश दिनांक 16.04.1984 द्वारा सिविल अपील सं. 2078/1984 में अपीलकर्ता-राज्य को रू. 5,75,500 जैसा कि मध्यस्थ द्वारा पंचाट पारित किया गया है, जमा कराने का निर्देश दिया गया। दोवदार को इस शर्त के साथ राशि निकालने की अनुमति दी गई थी कि दावेदार यदि अपील की अनुमति दी जाती है तो 15 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ राशि वापिस कर देगा। न्यायमूर्ति श्री तुलसीदास ने इस न्यायालय के समक्ष पंचाट दायर किया है।

पंचाट में मध्यस्थ ने अभिनिर्धारित किया है कि दावेदार के दावे और राज्य के प्रति-दावे पर विचार करने के बाद, वह दावेदार राज्य को 28,12,554 रू. पंचाट की दिनांक 11.12.2002 से 15 प्रतिशत ब्याज के साथ भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। दावेदार को मध्यस्थों के पारिश्रमिक के माध्यम से रू. 25,666 का भुगतान करने का भी निर्देश दिया गया था। मध्यस्थ ने अभिनिर्धारित किया कि अनुबंध की शर्तों में

स्वीकृत राशि 9,40,000 में से दावेदार को आपूर्ति की गई सामग्री के लिए प्राप्त हुआ था रू. 6,75,780 मूल्य और बिक्री कर का 80 प्रतिशत प्राप्त हो चुका है। वास्तव में आपूर्ति की गई सामग्री की लागत रू. 8,40,730 रूपये मजदूरी,सेवा,लाभ के 99,270 हैं। यह अभिनिर्धारित किया गया कि दावेदार 1966 से 1974 तक 8 वर्ष के ब्याज के साथ 2,83,080 प्राप्त करने का हकदार है। 47,000 जिसे प्रतिभूति जमा के रूप में जमा किया गया था और 1974 में वापस कर दिया था के समायोजन के बाद दावेदार को अन्ततः 2,36,714 उक्त राशि पर 9 प्रतिशत की दर से ब्याज का हकदार माना गया था। यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि दावेदार खर्चे के रू. 25,000 जनवरी 1978 से 9 प्रतिशत की दर से ब्याज के साथ खर्च के रूप में जब पहला पंचाट दिया गया था, हकदार था। मध्यस्थ का विचार था कि यह दावेदार की कोई गलती नहीं थी और इसलिए वह शेष राशि 99,270, 9 प्रतिशत की दर से ब्याज के साथ 1966 से 10.01.1973 तक का हकदार था। तब तक जब तक दोवदार ने राज्य को नोटिस नहीं दिया कि निर्माण के विभागीय कार्य नहीं किए जाएंगे। मध्यस्थ ने रूपये में पात्रता 1,66,010 निर्धारित की। उपरोक्त आधार पर दावेदार का कुल दावा रू. 5,25,774 माना गया। दावेदार को भुगतान किए जाने का दावा की गई राशि पर ध्यान देते हुए, मध्यस्थ ने निम्नानुसार नोट कियाः

(1) 2,68,550 रू. 17.07.1979 पर भुगतान किया गया था ।

(2) दिनांकित 26.02.1982 आदेश के अनुसार रू. 2,00,000, 23.11.1982 पर जमा किया गया।

(3) रू. 5,00,000 दिनांक 01.12.1983 के आदेश के अनुसार भुगतान किया गया था एम.एफ.ए. सं. 515/83।

(4) इस न्यायालय के दिनांकित 12.3.85 आदेश के संदर्भ में, रू. 5,75,000 भुगतान किया गया। इस प्रकार कुल रू. 15,43,550 दावेदार द्वारा प्रक्रिया के तहत प्राप्त किया गया था।

इस पर देय ब्याज 9 प्रतिशत निर्धारित किया गया था। साथ में ब्याज के साथ, राशि 21,29,350 रूपये तय की गई थी और राज्य दावेदार से 15 प्रतिशत की दर से ब्याज के साथ 28,12554 रूपये प्राप्त करने का हकदार है। 15 न्यायालय के आदेश को ध्यान में रखते हुए ब्याज भी निर्धारित किया गया था। दावेदार की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि मध्यस्थ का पंचाट निम्नलिखित आधारों पर अपास्त किये जाने योग्य है।

(1) मध्यस्थ ने अनुबंध की मौलिक शर्तों की अवहेलना की और उसके अधिकार क्षेत्र को पार कर गया। (2) मध्यस्थ ने कानून में खुद को इस अर्थ में गलत तरीके से निर्देशित किया कि वह अनुबंध की शर्तों को देखने की उपेक्षा की। (3) दावेदार को जो ब्याज दिया जाना था, वह"

और सहायक औद्योगिक उपक्रमों को विलंबित भुगतान पर ब्याज अधिनियम,1993" के आधार पर तय किया जाना था। ब्याज के लिए देयता उक्त अधिनियम की धारा 3,5 और 6 के संदर्भ में तय की जानी थी, जिस पर ध्यान नहीं दिया गया है। यह आगे बताया गया कि मध्यस्थ इस बात पर ध्यान देने में विफल रहा है कि 200000 की राशि देय नहीं थी। इससे पहले कि मध्यस्थ को यह दिखाना था कि राशि जमा थी लेकिन वहाँ राशि की कोई निकासी नहीं थी। रू.47000 एक से अधिक बार समायोजित किया गया है। मध्यस्थ ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि समझौते को नियंत्रित करने वाली कुछ विशेष शर्तें थीं, जिन पर ध्यान नहीं दिया गया थ। 5,75,000 पर 15 प्रतिशत ब्याज गलत तरीके से शामिल किया गया है क्योंकि यह कहीं भी निर्देशित नहीं है, कि दावेदार द्वारा 15 प्रतिशत का भुगतान किया जाना था। यह केवल देखा गया कि मामले में अपील की अनुमति दी जाये तो राज्य 15 प्रतिशत का हकदार होगा। संक्षेप में पंचाट दुर्व्यवहार का परिणाम था। जवाब में, राज्य के विद्वान वकील ने वह प्रस्तुत किया मध्यस्थ द्वारा दिया गया एक तर्कपूर्ण पंचाट है और तर्कपूर्ण पंचाट में हस्तक्षेप की गुंजाइश बेहद सीमित है। यह दिखाने के लिए कुछ भी नही दिखाया गया है कि, मध्यस्थ ने किसी भी प्रासंगिक सामग्री की अनदेखी की या यह कि पंचाट किसी भी पेटेंट अवैधता से ग्रस्त था। यद्यपि अधिनियम की प्रयोज्यता के बारे में कुछ विवाद था।

सभी चरणों में स्वीकृत स्थिति को ध्यान में रखते हुए कि अधिनियम कार्यवाही पर लागू होता है, ऐसी चुनौती बिना किसी आधार के है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि मध्यस्थ ने बहुत अच्छी तरह से तर्क दिया है। पंचाट किसी भी दुर्बलता से ग्रस्त था।

यह नहीं दिखाया गया कि संविदा की मूलभूत शर्तों की किस प्रकार अवहेलना की गयी। मध्यस्थ ने संविदा के विभिन्न मदों को व उनके प्रभाव को संदर्भित किया है। विनिश्चय अयुक्तियुक्त व अनुचित नहीं है। हम दावेदार के इस तर्क में कोई सार नहीं पाते है कि पंचाट अयोग्यता से ग्रसित है। जहॉ तक विलंबित भुगतानों पर ब्याज की प्रयोज्यता का संबंध है, ऐसा प्रतीत होता है कि मध्यस्थ के समक्ष उस संबंध में कोई दावा नहीं किया गया था। उक्त अधिनियम के प्रावधानों को आकर्षित करने के लिए, ब्याज की प्रचलित बैंक दर जैसे तथ्यात्मक पहलू को रिकॉर्ड पर लाया जाना था। ऐसा नहीं किया गया है। इसलिए इस सबंध में याचिका भी बिना किसी कारण के है। तथापि, हम दावेदार द्वारा प्राप्य राशियों की गणना से संबंधित याचिका में सार पाते हैं। जैसा कि सही रूप से प्रस्तुत किया गया था कि यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं था कि दावेदार ने उस राशि को वापस ले लिया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय,त्रिवेंद्रम में जमा किया गया था। इसी तरह, रू. 47,000 एक से अधिक बार समायोजित किया गया है। इस संबंध में समायोजन किया

जाना चाहिए। जहाँ तक 15 प्रतिशत ब्याज दार से संबंधित याचिका का संबंध है, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस न्यायालय ने निर्देश दिया है कि यदि अपील की अनुमति दी जाती है, तो राज्य 15 प्रतिशत की दर से ब्याज का हकदार होगा। ऐसी स्थिति नहीं आई है। इसलिए 5,75,000 पर 9 प्रतिशत लागू करना उचित होगा। उपरोक्त संशोधनों और गणना के साथ पंचाट न्यार्या और लिय का नियम बनाया जाता है और पूरी संबंधित राशियों को तैयार किया जाता है और तदनुसार डिक्री तैयार की जाती है। उपरोक्त शर्तों पर अपीलों का निपटारा किया जाता है। पक्षकार अपने संबंधित खर्चों को वहन करेंगे। अपीलों का निपटारा किया गया।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी महेन्द्र प्रताप बेनीवाल (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।